

1  
सेवा सं

अपंत अधिकारी

-चाकुलिथा-

उप - अपंत विविक्त

-चाकुलिथा-

विषय: सीमांकन बाध सं. - 23/2022-23 के संबंध में

महाशया

आदेशानुसार अपरांत विषयक संबंधित  
माप - सुनसुनिया, चाना नं- 34, खाल नं- 2।  
खेसथ नं- 296 रकबा - 90.5 के सीमांकन आदेश पर  
निधीरित लिखि को आदेशित सयल पदुका के शांति  
ले केते किया- आदेशक कि शांति ले केते नही गया-  
उक्त प्लॉट पर शक्तिपान न दप अवैध दखल कार  
का वंगल मकान बना का दह रथ है। उद्योग  
क्साथा की सवे ले पक्ष से 20 रथ है यह वंगल  
दम लगी का है। यह वंगल मापी कल नही देना  
सीमांकन नही हुआ। शक्तिपान का कपी संलग्न है।

यह प्रतिवेदन चाकुलिथा - को सादर समर्पित

आपका विश्वासपात्र

अं. अमीन

-चमरेदु मधल

15/12/22